भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3437
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>फर्जी कंपनियां</u>

3437. डॉ. किरीट सोमैया :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (आरओसी), मुम्बई को सिंचाई लोक निर्माण विभाग और महाराष्ट्र के महाराष्ट्र सदन घोटाले में संलिप्त फर्जी कंपनियों के संबंध में शिकायतें मिली हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या वर्ष 2012-13 में सरकार को 300 कंपनियों की सूची दी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या मंत्रालय ने क्षेत्रीय निदेशक और आरओसी को उक्त मामले की जांच करने तथा रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय में इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों को अग्रेषित किया गया है।

(ख) से (घ): यह शिकायतें लगभग 182 ऐसी कंपनियों के बारे में है जिनमें से 77 कंपनियों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने के संबंध कार्रवाई की गई है। बाकी कंपनियों के मामले में संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा दस्तावेजों की जांच/संवीक्षा की जा रही है।

*****